न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 59/2019(2019/00413)

1. श्री अमरा पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति मनभर पत्नी सुजान गुर्जर।
2. श्री रोडू पुत्र श्री सुजान गुर्जर।
3. लाडा पुत्री श्री सुजान गुर्जर।
4. रतनी पुत्री श्री सुजान गुर्जर।
5. श्री कालू पुत्र श्री बदी लाल गुर्जर।
6. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री पोखर गुर्जर।
7. श्री भंवरलाल पुत्र श्री पोखर गुर्जर।
8. श्री सोराज पुत्र श्री पोखर गुर्जर।
9. श्री सांवरा पुत्र श्री पोखर गुर्जर।
10. श्रीमति मंगली पत्नी श्री रामप्रसाद गुर्जर।
11. श्री बैनाथ पुत्र श्री हरनाथ जाट।
12. श्री शंकरलाल पुत्र श्री महाराम गुर्जर।
13. श्री सांवलराम पुत्र श्री मनीराम गुर्जर निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर।
14. श्री गोपालसिंह पुत्र श्री ओनार सिंह जाति राजपूत निवासी नायकी तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी।

---अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.6.22

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम एकलसिंहा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2070—73 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
42—46	659	0.07	बारानी 1
	660	0.28	बारानी 1
	664	1.85	बारानी 1
	665	0.80	बारानी 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 3.00है.	
40—44	74	0.11	बारानी 3
	667	0.33	बारानी 2

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

	कुल किता 2	रकबा 0.44है.	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 का ही हक व हिस्सा है। तथा अन्य अप्रार्थीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है । तथा न ही वास्ता व सरोकार है । तथा प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है
लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 10 को उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे से खसरा नंम्बर 342, 343, 659, 660, 664, 665 मे से 1/2 हिस्सा पूर्व खातेदार द्वारा विक्रय कर दिया गया। जिसका
बंटवारा नही होने के कारण सीमा संबंधी विवाद है। तथा हिस्सेवार आराजीयात का सीमांकन किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 आये दिन प्रार्थी की भूमि पर अवैध
व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते रहते है तथा आये दिन सीमा चिन्ह जीर्णशीर्ण होने की वजह से प्रार्थी की भूमि पर यानि अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा रहते है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने तथा जबरन बैदखल करने की धमकीयां देते है। पूर्व मे भी प्रार्थी ने कई बार सीमाज्ञान करवाने बाबत निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने इसलिए स्थायी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है । दिनांक 25.03.2019 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात के पडौसी होने के कारण बद्धनियति पूर्वक अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने की धमकीयां देते हुए आये ओर प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये । इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि को नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जाना प्रार्थनीय है ताकी प्रार्थी को वहुवाद कार्यवाहीयो मे नही उलझना
पडे। इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाचिन्ह जिर्णशिर्ण व अदर्शनीय होने के कारण आये दिन अप्रार्थीगण बद्धनियति पूर्वक विवाद करते रहते है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित या स्थापित नही किये जाते है। तो प्रार्थी को अनेकानेक न्यायिक कार्यवाहीयो मे उलझना पडेगा तथा अपने हक हिस्से की
आराजीयात से वंचित होना पडेगा। इसलिए उक्त आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है ।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया। पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। संयुक्त खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की नापचोप कर पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम एकलसिंहा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 42–46 के कुल किता 4, कुल रकबा 3.00हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 40–44 के खसरा नंबर 74,667 के रकबा 0.11, 0.33 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी के आराजी के नापचोप कर नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner